AFFIDAVIT FOR EMPANELMENT OF MANUFACTURER COMPANIES/FIRMS FOR AGRICULTURAL MACHINERY
(To be notarized on a Stamp Paper of Rs. 100/-)

I,..... son/daughter of Shri ..... Aadhaar No. ..... Permanent Address ..... Temporary Address..... do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. I am the proprietor/authorized representative of Company/Firm..... Proof of my being the proprietor or authorized representative is enclosed herewith, duly signed and verified by me.
2. My Company/Firm ..... has applied for empanelment for the sale of agricultural machinery to be distributed under subsidy schemes of the Agriculture Department in the State of Uttar Pradesh.
3. My Company/Firm is not blacklisted in any other State of the country and my authorized dealers are also not blacklisted in any district of Uttar Pradesh.
4. My Company/Firm shall be bound to provide all records/documents related to the manufacturer company/firm and dealer whenever required by the officers/employees of the Agriculture Department.
5. The prescribed MRP (including GST) of agricultural machinery has been uploaded/fed by me on upyantratracking.in portal.
6. All details along with records/documents shall be uploaded and fed by me on upyantratracking.in portal and the details/records of agricultural machinery purchased by farmers shall also be uploaded and fed on the upyantratracking.in portal through my authorized dealers.
7. On all agricultural machinery supplied under Agricultural Mechanization Schemes, the name of the scheme, year and district name shall be painted/written on the machinery. Responsibility for ensuring this work through the concerned seller shall rest with my Company.
8. My Company shall sell all self-propelled agricultural machinery/equipment only with GPS facility.
9. My Company/Firm shall mark only embossed/laser cut serial numbers on agricultural machinery.
10. Authorized dealers of my Company/Firm shall not issue bills at rates higher than the empaneled rates.
11. My Company/Firm has established service stations in the State for repair of agricultural machinery sold in the State, where facilities shall be provided to farmers within 72 hours. A list of service stations established in the State for repair of agricultural machinery is enclosed with this affidavit.
12. My Company/Firm shall not sell agricultural machinery of any make and model other than those listed with the Department under the Agricultural Mechanization Schemes.
13. In case my Company/Firm appoints authorized dealers, the complete responsibility for their registration on the upyantratracking.in portal shall rest with our Company.
14. My Company/Firm has provided only the test report applied for by itself and pertaining to its own brand of self-manufactured agricultural machinery for empanelment.

15. My Company/Firm shall provide the list of its authorized dealers at the time of application for empanelment. The authorized dealers so provided shall also be enlisted with the Department. Apart from these, no other dealer shall sell agricultural machinery manufactured by my Company under subsidy schemes.
16. I understand that the agricultural machinery supplied by the enlisted dealers of my Company shall be subjected to technical and quality testing by the Department, and if any technical or quality-related deficiencies are found during testing, legal action may also be taken against my Company. All expenses incurred on such testing shall be borne by my Company itself.
17. If I fail to act in accordance with the standards prescribed by the Department, I may be debarred from empanelment in future and if any legal action is initiated against me or my Company for this reason, I shall be fully responsible for the same.
18. If any deficiency is found by the Department in the service-related works of my Company/Firm, then forfeiture of bank guarantee along with any other penalty as determined by the Department shall be acceptable to my Company/Firm.

I, on behalf of Company ....., undertake that if any fact has been concealed by me in the application and if I fail to comply with the conditions mentioned from Point No. 1 to 18, I shall have no objection if my manufacturer Company/Firm is blacklisted by the Department and I shall not submit any representation at any level against the action taken by the Department.

कृषि यंत्रों हेतु निर्माता कंपनियों/फर्मों के पैनलीकरण (Empanelment) के लिए शपथ-पत्र

(₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर नोटरीकृत कराया जाना अनिवार्य है)

मैं,..... पुत्र/पुत्री श्री ....., आधार संख्या ....., स्थायी पता ..... तथा अस्थायी पता ....., विधिवत शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:-

1. मैं **कंपनी/फर्म .....** का स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि हूँ। मेरे स्वामी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि होने का प्रमाण-पत्र इस शपथ-पत्र के साथ संलग्न है, जिसे मेरे द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया गया है।
2. मेरी कंपनी/फर्म **.....** ने उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत अनुदान (Subsidy) पर वितरित किए जाने वाले कृषि यंत्रों के विक्रय हेतु पैनलीकरण (Empanelment) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।
3. मेरी कंपनी/फर्म भारत के किसी भी राज्य में काली सूची (Blacklisted) में सम्मिलित नहीं है तथा मेरे अधिकृत विक्रेता (Authorized Dealers) भी उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में काली सूचीबद्ध नहीं हैं।
4. 4. मेरी कंपनी/फर्म कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा माँगे जाने पर निर्माता कंपनी/फर्म एवं उसके अधिकृत विक्रेताओं से संबंधित समस्त अभिलेख, दस्तावेज एवं अभिलेखीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगी।

5. मेरे द्वारा कृषि यंत्रों का विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), जिसमें जी.एस.टी. (GST) सम्मिलित है, **upyantratracking.in** पोर्टल पर अपलोड/फीड कर दिया गया है।
6. मेरे द्वारा समस्त विवरण एवं अभिलेख **upyantratracking.in** पोर्टल पर अपलोड एवं फीड किए जाएंगे तथा किसानों द्वारा क्रय किए गए कृषि यंत्रों का समस्त विवरण भी मेरे अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से उक्त पोर्टल पर अपलोड एवं फीड कराया जाएगा।
7. कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक कृषि यंत्र पर संबंधित योजना का नाम, वर्ष तथा जनपद का नाम स्पष्ट रूप से पेंट अथवा अंकित कराया जाएगा। संबंधित विक्रेता के माध्यम से उक्त कार्य सुनिश्चित कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी कंपनी की होगी।
8. मेरी कंपनी सभी स्वचालित (Self Propelled) कृषि यंत्रों एवं उपकरणों का विक्रय केवल जी.पी.एस. (GPS) सुविधा सहित करेगी।
9. मेरी कंपनी/फर्म कृषि यंत्रों पर केवल उभरे हुए (Embossed) अथवा लेज़र कट (Laser Cut) क्रमांक (Serial Number) ही अंकित करेगी।
10. मेरी कंपनी/फर्म के अधिकृत विक्रेता विभाग द्वारा स्वीकृत पैनल दरों से अधिक दर पर किसी भी कृषि यंत्र का विक्रय नहीं करेंगे।
11. मेरी कंपनी/फर्म द्वारा राज्य में विक्रय किए गए कृषि यंत्रों की मरम्मत हेतु राज्य के भीतर सेवा केन्द्र (Service Stations) स्थापित किए गए हैं, जहाँ किसानों को 72 घंटे के भीतर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे सेवा केन्द्रों की सूची इस शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
12. मेरी कंपनी/फर्म कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत केवल उन्हीं कृषि यंत्रों के मॉडल एवं निर्माण (Make & Model) का विक्रय करेगी, जिन्हें विभाग द्वारा अनुमोदित एवं सूचीबद्ध किया गया है।
13. यदि मेरी कंपनी/फर्म अधिकृत विक्रेताओं की नियुक्ति करती है, तो **upyantratracking.in** पोर्टल पर उनके पंजीकरण की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी कंपनी की होगी।

14. मेरी कंपनी/फर्म ने पैनलीकरण हेतु केवल अपने द्वारा निर्मित (Self Manufactured) कृषि यंत्रों एवं अपने स्वयं के ब्रांड से संबंधित परीक्षण प्रतिवेदन (Test Report) ही प्रस्तुत किए हैं।

15. मेरी कंपनी/फर्म पैनलीकरण हेतु आवेदन करते समय अपने सभी अधिकृत विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराएगी। उक्त अधिकृत विक्रेताओं का विभाग में पंजीकरण भी कराया जाएगा। इनके अतिरिक्त कोई अन्य विक्रेता मेरी कंपनी द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों का अनुदान योजनाओं के अंतर्गत विक्रय नहीं करेगा।

16. मैं यह भली-भाँति समझता/समझती हूँ कि मेरी कंपनी के सूचीबद्ध विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए गए कृषि यंत्रों का विभाग द्वारा तकनीकी एवं गुणवत्ता परीक्षण कराया जाएगा। यदि परीक्षण के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी अथवा गुणवत्ता संबंधी कमी पाई जाती है, तो मेरी कंपनी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है तथा परीक्षण पर होने वाला समस्त व्यय मेरी कंपनी स्वयं वहन करेगी।

17. यदि मैं विभाग द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों का पालन करने में असफल रहता/रहती हूँ, तो भविष्य में मुझे पैनलीकरण से वंचित (Debar) किया जा सकता है। इस कारण यदि मेरे अथवा मेरी कंपनी के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही की जाती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

18. यदि विभाग द्वारा मेरी कंपनी/फर्म की सेवा-संबंधी कार्यप्रणाली में कोई कमी पाई जाती है, तो विभाग द्वारा निर्धारित अन्य दंडात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त बैंक गारंटी की जब्ती (Forfeiture of Bank Guarantee) भी मेरी कंपनी/फर्म को स्वीकार होगी।

प्रतिज्ञान (Undertaking)

मैं, **कंपनी .....** की ओर से यह विधिवत प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई तथ्य जानबूझकर छिपाया गया पाया जाता है अथवा मैं उपर्युक्त बिंदु संख्या **1 से 18** तक उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन करने में असफल रहता/रहती

हूँ, तो कृषि विभाग द्वारा मेरी निर्माता कंपनी/फर्म को **काली सूची (Blacklisted)** में सम्मिलित किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही के विरुद्ध मैं किसी भी स्तर पर कोई अभ्यावेदन, आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान : _____

दिनांक : _____

शपथकर्ता (Deponent)

हस्ताक्षर : _____

नाम : _____

पदनाम : _____

कंपनी का नाम : _____